न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 143 / 2021

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीः—**
1. खींव सिंह गोद पुत्र भोमसिंह जाति पुरोहित, निवासी सियाट, तहसील सोजत जिला—पाली (राजस्थान)		सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, (जिला—पाली)।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 04/04/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सियाट तहसील सोजत में संवत 2033—52 की मिसल बंदोबस्त अनुसार नया खसरा 432 रकबा 3.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 8.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नंबर 367 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 435 रकबा 0.1000 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 13. 5500 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई है, जो खातेदार केसरसिंह पुत्र हीरसिंह 1/3, गणपतसिंह उर्फ गुणेश सिंह वल्द हीरसिंह 1/3, खींवसिंह गोद भोमसिंह 1/3 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त मिसल बंदोबस्त में प्रार्थी का सही नाम अंकित किया गया है। परन्तु जमाबंदी बंदोबस्त के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा आगामी जमाबंदी संवत 2047 से 2050 बनाते समय प्रार्थी के नाम ''खीवसिंह'' के स्थान पर ''खीमसिंह'' दर्ज कर दिया है, जो गलत है। वक्त सैटलमेन्ट प्रार्थी को पर्चा लगान नंबर 28 दिया गया है, उक्त पर्चा में भी सही नाम खीवसिंह दर्ज है, इसी प्रकार प्रार्थी को संवत 2033 से 2052 की कृषक डायरी बनाकर दी गई है, उसमें भी प्रार्थी का सही नाम खीवसिंह दर्ज है। वक्त सैटलमेन्ट, कर्मचारियों द्वारा पुराने खसरा से नये खसरा नंबर बाबत जो खसरा मिलान बनाया गया है। उसमें भी यही नाम खींवसिंह दर्ज है। प्रार्थी के पहचान से संबंधित जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, एस.बी.आई. बैंक खाता, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी खींवसिंह के नाम से जारी किये हुए है। संवत 2047 से 2050 की जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा खींवसिंह गोद भोमसिंह के स्थान पर खींमसिह गोद भीमसिंह दर्ज किया गया है, जो गलत है, पटवारी हल्का को जमाबंदी में प्रविष्टियो को दोहराना होता है, पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपनी मनमर्जी के अनुसार लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए अशुद्धि की है। जिसका पटवारी हल्का को कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा की गई उक्त अशुद्धि धारा 136 एल. आर. एक्ट की परिधि मे आती है। संवत 2047 से 50 की जमाबंदी में हुई अशुद्धि आज भी नई जमाबन्दी के खसरा नंबर 432, 434, 435, 433/2 में बरकरार है। वादग्रस्थ कृषि भूमि सियाट में स्थित होने से व प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट का होने से न्यायालय हाजा को उक्त

प्रकरण सुनने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट0 1956 पेश कर सरहद मौजा सियाट तहसील सोजत की कृषि भूमि खसरा संख्या 432, 434, 435, 433/2 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम खींवसिंह दतक पुत्र भोमसिंह दर्ज करने का दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत ने जबाब दावा पेश किया, सा0मि0 हो। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। प्रार्थी का नाम खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह गलत दर्ज है। जिसे राजस्व रेकर्ड गलत रूप से दर्ज खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह के स्थान पर सही नाम खींवसिंह दतक पुत्र भोमसिंह के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात जमाबन्दी 2033–52, पर्चा लगान तथा मिलान खसरा संख्या सैटलमेंट विभाग, प्रार्थी के तस्दीक सुदा शपथ पत्र, छाया प्रति प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र संख्या 5047851628, प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 268005435612, आयकर कार्ड सं0 AFEPP505A, राशन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रतियॉ आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी 2047–50 बनाते समय खींवसिंह गोद पुत्र भोमसिंह के स्थान पर खीमसिंह पुत्र भोमसिंह गलत दर्ज कर दिया जो आगे से आगे जमाबंदियो में आज तक गलत दर्ज हो गया। पर्चा लगान व खसरा मिलान मे भी प्रार्थी का नाम पुर्व मे खीवसिंह होने की पुष्टि होती है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वादस्थ सरहद मौजा सियाट तहसील सोजत की कृषि भूमि खसरा संख्या 432, 434, 435, 433/2 में सदभाविक त्रुटिवश सहवन से गलत रूप से दर्ज खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह का नाम दुरूस्त कर खींवसिंह दतक पुत्र भोमसिंह वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सियाट तहसील सोजत की कृषि भूमि खसरा

संख्या 432, 434, 435, 433/2 में लिपिकीय सदभाविक त्रुटिवश सहवन से प्रार्थी का नाम खींवसिंह दतक पुत्र भोमसिंह के स्थान खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि खीमसिंह दतक पुत्र भोमसिंह के स्थान पर सही नाम खींवसिंह दतक पुत्र भोमसिंह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/04/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत